ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बल्ह में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती उषा देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	सर्वश्री मनोज कुमार	01.04.2021 से 22.06.2021
2.	संजीव कुमार	22.06.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	18.92
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.10
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.07
4)	8.1	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	0.85
5)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.32
6)	8.3	मनरेगा शीर्ष से अधिक भुगतान करना	0.28
7)	8.4	मनरेगा शीर्ष से मजदूरी का अधिक भुगतान करना	0.03
8)	9.1	व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	4.15

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.01.2024 से 03.02.2024 तक व श्री अशवनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.01.2024 को ग्राम पंचायत बल्ह के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	07/2021	11/2021
2022-23	10/2022	09/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 92/2024 दिनांक 03/02/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित थानाकलां के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 310685 दिनांक 12/02/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4(क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत बल्ह द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	1997517	7358941.08	9356458.08	6774518.18	2581939.9
1	2022-23	2581939.9	4601874.06	7183813.96	5292170.26	1891643.7

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बल्ह के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर शून्य था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	1891643.70
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष (**परिशिष्ट क-1**)	**1891503.7**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	140.00
4)	**योग (2+3)**	**1891643.70**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB THANAKALAN	50067092222	475158.00
2	KCCB THANAKALAN	50071110543	242731.00
3	KCCB THANAKALAN	50067092233	0.00
4	HP GRAMIN BANK BEHARU	88710100004451	1173614.70
		योग	**1891503.7**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	140.00
		योग (1+2)	**1891643.70**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 03/02/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹18.92 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹1891643.70/- की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम

पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 13 दिनांक 03/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 03/02/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे| अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.10 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 03/02/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹110100/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	69050	20600	89650	150	89500
2022-23	89500	20600	110100	0	110100

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय

कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹6600/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2021-22	3800
2	2022-23	2800
	योग	**6600/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84/2024 दिनांक 01.02.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 03/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹0.85 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹85402/- की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 86/2024 दिनांक 01.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 03/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त

वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू करवाई अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित)
1	प्लानिंग	1876	09/22	2300 टाईल / पेवर @ 11.90/- प्रति टाईल	27370
2	मनरेगा	1879	09/22	2500 टाईल / पेवर @ 12.90/- प्रति टाईल	32240
3	मनरेगा	1880	09/22	2000 टाईल / पेवर @ 12.90/- प्रति टाईल	25792
				योग	**85402**

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.32 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 11/2021 व 09/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार ₹31696/-** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 85/2024 दिनांक 01/02/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 03/02/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा |

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: ₹**31696/-** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.3 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost** परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए **निम्न विवरणानुसार** सामग्री के रूप में ₹**27579/-** का अधिक भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 88/2024 दिनांक 02/02/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 03/02/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹**27579/-** की वसूली करके मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 15.02.2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि कर ली गई है |

क्रम संख्या	**निर्माण कार्य का नाम**	**सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि**	**सामग्री पर व्यय राशि (Material + Semi Skilled labour) (₹)**	**लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि**	**लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)**
1	C/O RWHT SATISH KUMAR	(मस्ट्रोल संख्या 266, 2842, 3318, 3748 व 4107) (424+9540+10176+12084+14840= 47064 × 2/3 =	41657	31376	10281

		31376)			
2	C/O RWHT SANJEEV KUMAR	(मस्ट्रोल संख्या 267, 2843, 3319, 3749) (424+10388+21412+14840 = 47064 × 2/3 = 31376)	38489	31376	7113
3	C/O CATTLE SHED KULDEEP KUMAR	(मस्ट्रोल संख्या 737, 1106, 1360 व 1681) (16112+11236+14416+15900= 57664 × 2/3 = 38443)	39507	38443	1064
4	C/O RWHT KEDAR NATH	(मस्ट्रोल संख्या 268, 2844, 3320, 3750 व 4432) (424+13356+22048+3180+7420= 46428 × 2/3 = 30952)	40073	30952	9121
				योग	**27579/-**

8.4 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.03 लाख की मजदूरी का अधिक भुगतान:-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 11/2021 में मनरेगा मद से करवाए गए निर्माण कार्य C/O WHT SUBHASH CHAND S/O RIKHI हेतु प्रयोग किए गए मस्ट्रोल संख्या 5130, 5688 व 5759 द्वारा ₹18676/-, ₹9744/- व ₹3806/- कुल ₹32226/- का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया, जबकि उक्त मस्ट्रोलों का मूल्यांकन मापन पुस्तिका संख्या 0951 के पृष्ठ संख्या 83 पर ₹28845/- आँका गया अर्थात् पंचायत द्वारा ₹3381/- (32226-28845) का अधिक भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 87/2024 दिनांक 01/02/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 15 दिनांक 03/02/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को मनरेगा मद में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा |

9.1 ₹4.15 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 11/2021 व 09/2022 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹415162.20/-** का भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या / वाउचर संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या
1	मनरेगा	11/21	C/O TRACKING OF PATH ALONG WITH FENCING AT PANCHWATI	5694 (16/10/21 TO 31/10/21)	मजदूरी	3857	985 79-80
2	मनरेगा	11/21	C/O BEAUTIFICATION OF POND AT PANCHWATI BALH	5701 (16/10/21 TO 31/10/21)	मजदूरी	6496	985 77-78
3	मनरेगा	11/21	C/O TRACKING OF PATH ALONG WITH FENCING AT PANCHWATI	221 09/11/21	सीमेंट	42996.8	--
4	मनरेगा	11/21	C/O BEAUTIFICATION OF POND AT PANCHWATI BALH	222 17/11/21	शटरिंग	33600	--
5	मनरेगा	11/21	C/O BEAUTIFICATION OF POND AT PANCHWATI BALH	229 09/11/21	सीमेंट	98278.4	--
6	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD TO AVADI KULDEEP, SANDEEP ETC.	58 01/09/2022	रेत, बजरी इत्यादि	30750	--
7	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD TO AVADI	59 01/09/2022	रेत, बजरी इत्यादि	44800	--

			KULDEEP, SANDEEP ETC.				
8	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD TO AVADI KULDEEP, SANDEEP ETC.	60 01/09/2022	सीमेंट कैरिज	1700	--
9	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD MUNSHI RAM, TYAN SINGH ETC.	66 24/09/2022	सीमेंट	36302	--
10	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD JAMIT SINGH ETC.	67 01/09/2022	सीमेंट	36302	--
11	मनरेगा	09/22	C/O MOKSHDHAM VILL. SAKON	2137 (17/08/22 TO 31/08/22)	मजदूरी	12720	--
12	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD TO AVADI KULDEEP, SANDEEP ETC.	2140 (17/08/22 TO 31/08/22)	मजदूरी	9328	--
13	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD TO AVADI KULDEEP, SANDEEP ETC.	83 30/09/22	पेवर / ब्लॉक्स	32240	--
14	मनरेगा	09/22	C/O LINK ROAD TO AVADI KULDEEP, SANDEEP ETC.	84 30/09/22	पेवर / ब्लॉक्स	25792	--
					योग	**415162.2**	

उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 89/2024 दिनांक 02/02/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 03/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जाँच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए |

9.2 अग्रिम राशि ₹7.40 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024 के क्रम संख्या 11 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 03/02/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹1590053**/- का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.23 तक उक्त राशि में से ₹**850232.85/-** का समायोजन ही हुआ था। अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन बंगाणा से उक्त राशि में से असमायोजित **राशि ₹739820.15** को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**बिल संख्या व दिंनाक**	**फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया**	**सामान का विवरण**	**अग्रिम राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/23 तक समायोजित राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/23 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)**
1	मनरेगा	005 17/11/2021	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	614240	360904.85	253335.15
2	मनरेगा	005 17/11/2021	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	921360	489328	432032
3	मनरेगा	0566639 01/09/2022	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	54453	0	54453
				योग	**1590053**	**850232.85**	**739820.15**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75/2024 दिनांक 27.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 14 दिनांक 03/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74/2024 दिनांक 27.01.2024के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 03/02/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित

है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
3 0 MAR 2024 हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1716- 1720 का० / 50

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)4/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

3 0 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का० / 50

पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

संकलित वित्तीय स्थिति

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	1997517	7358941.08	9356458.08	6774518.18	2581939.9
2	2022-23	2581939.9	4601874.06	7183813.96	5292170.26	1891643.7

Panchayat Secretary
G.P. Balh, Dev.Block
Bangana.Distt.Una (H.P.)

ग्राम पंचायत बल्ह, विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (15वें वित्तायोग सहित समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	964705	1932091	2896796	780844.1	2115951.9
2	2022-23	2115951.9	1492288	3608239.9	1959327.2	1648912.7

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	1032812	22920	1055732	589744	465988
2	2022-23	465988	10591	476579	233848	242731

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2021-22	0	5403930.08	5403930.08	5403930.08	0
2	2022-23	0	3098995.06	3098995.06	3098995.06	0

Panchayat Secretary
G.P. BALH, Dev.Block
Bangana.Distt.Una (H.P.)

1)	दिनांक 31.03.22 को रोकड़ बही खाता पैरा 4 का अंतशेष	1891643.70
2)	दिनांक 31.03.22 को बैंक का अन्तशेष	**1891503.7**
3)	दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि	140.00
4)	**योग (2+3)**	**1891643.70**
5)	**अन्तर (1-4)**	**0.00**

Panchayat Secretary
G.P. BALH, Dev.Block
Bangana, Distt.Una (H.P.)

परिशिष्ट क-3

दिनांक 31.03.22 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB THANAKALAN	50067092222	475158.00
	KCCB THANAKALAN	50071110543	242731.00
	KCCB THANAKALAN	50067092233	0.00
	HP GRAMIN BANK BEHARU	88710100004451	1173614.70
		योग	**1891503.7**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	140.00
		योग (1+2)	**1891643.70**

Panchayat Secretary
G.P. [illegible], Dev.Block
Bangana, Distt.Una (H.P.)

परिशिष्ट 'ख'   पैरा संख्या 7.1(क) में सन्दर्भित

दिनाकं 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	योग	प्राप्ति	बकाया
2021-22	69050	20600	89650	150	89500
2022-23	89500	20600	110100	0	110100

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बल्ह
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ग'

पैरा संख्या '4.2' में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत बल्ह विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना हि० प्रदेश

क्र.स.	योजना	वाउचर संख्या	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयल्टी
	MNREGA	200	17/11/2021	नि. पंचवटी बल्ह	शून्य	22/06/2021	राम पल पुत्र श्री कर्म चंद गाँव बल्ह रेहडे	AGG.	17	1.52	25.84	80	2067
1	15TH FC	41	8/9/2022	निर्माण लिंक रोड H/O अमर सिंह विजय कुमार बल्ह खोली	88	8/8/2022	JAGDISH RAM GOVT CONT. गाँव बल्ह रेहडे	SAND	8	1.62	12.96	80	1037
2	15TH FC	41	8/9/2022	निर्माण लिंक रोड H/O अमर सिंह विजय कुमार बल्ह खोली	88	8/8/2022	यथोपरि	AGG.	8	1.52	12.16	80	972.8
3	15TH FC	42	8/9/2022	निर्माण लिंक रोड to आबादी राजिंदर सिंह नारण सिंह ETC बल्ह	87	7/8/2022	यथोपरि	SAND	6	1.62	9.72	80	777.6
4	15TH FC	42	8/9/2022	निर्माण लिंक रोड to आबादी राजिंदर सिंह नारण सिंह ETC बल्ह	87	7/8/2022	यथोपरि	AGG.	10	1.52	15.2	80	1216
5	VKVNY	47	27/9/2022	नि. पक्का रास्ता ALONG WITH RETAINING WALL H/O निर्मला देवी ETC	82	1/8/2022	यथोपरि	SAND	10	1.62	16.2	80	1296
6	VKVNY	47	27/9/2022	नि. पक्का रास्ता ALONG WITH RETAINING WAL H/O निर्मला देवी ETC	82	1/8/2022	यथोपरि	AGG.	16	1.52	24.32	80	1946
7	VKVNY	48	27/9/2022	नि. पक्का रास्ता ALONG WITH RETAINING WAL H/O निर्मला देवी ETC	83	4/8/2022	यथोपरि	SAND	6	1.62	9.72	80	777.6
8	VKVNY	48	27/9/2022	नि. पक्का रास्ता ALONG WITH RETAINING WAL H/O निर्मला देवी ETC	83	4/8/2022	यथोपरि	AGG.	4	1.52	6.08	80	486.4
9	MNREGA	58	1/9/2022	नि. लिंक रोड आबादी कुलदीप संदीप पूर्ण आदि	78	30/07/2022	यथोपरि	SAND	6	1.62	9.72	80	777.6
10	MNREGA	58	1/9/2022	नि. लिंक रोड आबादी कुलदीप संदीप पूर्ण आदि	78	30/07/2022	यथोपरि	AGG.	12	1.52	18.24	80	1459
11	DO	59	1/9/2022	नि. लिंक रोड आबादी कुलदीप संदीप पूर्ण आदि	79	2/8/2022	यथोपरि	SAND	10	1.62	16.2	80	1296
12	DO	59	1/9/2022	नि. लिंक रोड आबादी कुलदीप संदीप पूर्ण आदि	79	2/8/2022	यथोपरि	AGG.	6	1.52	9.12	80	729.6
13	DO	61	1/9/2022	नि. लिंक रोड मेन रोड to जोगीपंगा to बल्ह स्कोन	75	22/07/2022	यथोपरि	SAND	20	1.62	32.4	80	2592
14	DO	61	1/9/2022	नि. लिंक रोड मेन रोड to जोगीपंगा to बल्ह स्कोन	75	22/07/2022	यथोपरि	AGG.	8	1.52	12.16	80	972.8
15	DO	62	1/9/2022	नि. लिंक रोड मेन रोड to जोगीपंगा to बल्ह स्कोन	76	25/07/2022	यथोपरि	SAND	8	1.62	12.96	80	1037
16	DO	62	1/9/2022	नि. लिंक रोड मेन रोड to जोगीपंगा to बल्ह स्कोन	76	25/07/2022	यथोपरि	AGG.	20	1.52	30.4	80	2432
17	DO	63	1/9/2022	नि. लिंक रोड मेन रोड to जोगीपंगा to बल्ह स्कोन	77	28/07/2022	यथोपरि	SAND	10	1.62	16.2	80	1296
18	DO	63	1/9/2022	नि. लिंक रोड मेन रोड to जोगीपंगा to बल्ह स्कोन	77	28/07/2022	यथोपरि	AGG.	18	1.52	27.36	80	2189

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत बल्ह

	योग	25357
	25% पैनल्टी	6339
	कुल योग	31696

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बल्ह
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)